शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 51 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 51 अंक – 9 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 23 – 02 मार्च 2026 मूल्य पांच रूपये

स्मार्ट मीटर क्रांति या नया विवाद? बिजली क्षेत्र के बदलाव पर उठते सवाल

शिमला/शैल। देश में बिजली वितरण व्यवस्था को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना अब तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार का दावा है कि यह पहल बिजली क्षेत्र में पारदर्शिता, दक्षता और वित्तीय सुधार लाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। लेकिन दूसरी ओर कई राज्यों में इस योजना को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। यही कारण है कि स्मार्ट मीटर अब केवल तकनीकी सुधार का विषय नहीं रह गया, बल्कि नीति और जनहित से जुड़ी बहस का केंद्र भी बन गया है।

केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक के अनुसार देश भर में अब तक लगभग 5.5 करोड़ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। यह काम केंद्र सरकार की पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) के तहत किया जा रहा है, जिसकी कुल लागत करीब 3,03,758 करोड़ रुपये है और जिसे वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक लागू किया जा रहा है। इस योजना का सबसे बड़ा लक्ष्य देशभर में 20 करोड़ पारंपरिक बिजली मीटरों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर से बदलना है।

सरकार का तर्क है कि बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की खराब वित्तीय स्थिति देश के ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या रही है। तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान, गलत बिलिंग, बिजली चोरी और भुगतान में देरी के कारण डिस्कॉम पर भारी कर्ज का बोझ बढ़ता गया। ऐसे में स्मार्ट मीटरिंग को इस समस्या का समाधान बताया जा रहा है।

स्मार्ट मीटर की खासियत यह है कि यह रियल-टाइम ऊर्जा डेटा उपलब्ध कराता है, जिससे बिजली खपत का सटीक आकलन संभव होता है। इससे बिलिंग में मानवीय हस्तक्षेप कम होता है और उपभोक्ता को सही बिल मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा प्रीपेड प्रणाली लागू होने से उपभोक्ता पहले भुगतान करते हैं और फिर बिजली का उपयोग करते हैं, जिससे डिस्कॉम को नकदी प्रवाह बेहतर मिलने की उम्मीद है।

सरकार यह भी मानती है कि भविष्य में जब रूफटॉप सोलर, इलेक्ट्रिक वाहनों और स्मार्ट ग्रिड तकनीक का विस्तार होगा, तब स्मार्ट मीटरिंग ऊर्जा प्रबंधन का आधार बनेगी। उच्च- रिज़ॉल्यूशन डेटा के आधार पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के माध्यम से बिजली मांग का पूर्वानुमान और लोड प्रबंधन अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा।

लेकिन इन दावों के साथ-साथ कई सवाल भी उठ रहे हैं। कई उपभोक्ता संगठनों और ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि स्मार्ट मीटरिंग से बिजली उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है। कुछ राज्यों में उपभोक्ताओं ने शिकायत की है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल पहले की तुलना में अधिक आने लगे हैं। हालांकि बिजली कंपनियों का कहना है कि स्मार्ट मीटर केवल वास्तविक खपत दिखाते हैं, जबकि पुराने मीटरों में अकसर कम रीडिंग दर्ज होती थी।

हिमाचल प्रदेश में भी स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया जारी है। राज्य में लगभग 28 लाख बिजली उपभोक्ता हैं और सभी के पारंपरिक मीटरों को स्मार्ट मीटर से बदलने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक प्रदेश में करीब 8 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।

यह प्रक्रिया अचानक शुरू नहीं हुई। वर्ष 2019 में हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ने इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (IPDS) के तहत शिमला और धर्मशाला में स्मार्ट मीटर लगाने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। इस परियोजना के तहत करीब 1.51 लाख मीटर लगाने की योजना बनाई गई थी, जिसे वर्ष 2022-23 में पूरा कर लिया गया।

अब RDSS के तहत इस परियोजना को पूरे राज्य में विस्तार दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे बिजली वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी और आधुनिक बनेगी। लेकिन विपक्ष और कुछ उपभोक्ता समूह यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या राज्य सरकार ने इस योजना के आर्थिक और सामाजिक प्रभावों का पर्याप्त आकलन किया है।

एक बड़ा मुद्दा यह भी है कि पहाड़ी राज्यों में बिजली वितरण की लागत पहले ही ज्यादा होती है। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बिजली लाइनें बिछाना और उनका रखरखाव महंगा पड़ता है। ऐसे में यदि स्मार्ट मीटरिंग से बिजली दरों में अप्रत्यक्ष वृद्धि होती है, तो इसका असर आम उपभोक्ता पर पड़ सकता है।

बिजली क्षेत्र के विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत तेजी से डिजिटल ऊर्जा प्रबंधन की ओर बढ़ रहा है और स्मार्ट मीटर इस बदलाव का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यदि बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिक नहीं बनाया गया तो भविष्य में बढ़ती ऊर्जा मांग को संभालना मुश्किल हो सकता है।

इस पूरे मुद्दे का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पारदर्शिता और जनविश्वास है। यदि सरकार और बिजली कंपनियां स्मार्ट मीटरिंग के लाभों और लागतों के बारे में स्पष्ट जानकारी दें और उपभोक्ताओं की आशंकाओं का समाधान करे।

सवाल केवल यह नहीं है कि कितने मीटर लगाए गए, बल्कि यह भी है कि क्या यह बदलाव उपभोक्ता के लिए लाभकारी साबित होगा या नहीं। आने वाले वर्षों में यही तय करेगा कि स्मार्ट मीटर योजना ऊर्जा क्षेत्र में सुधार की मिसाल बनती है या फिर एक और विवादास्पद नीति के रूप में याद की जाती है।

दिल्ली में हिमाचल के हितों की पैरवी नहीं कर सके जयराम:कांग्रेस

शिमला/शैल। कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि वे प्रदेश की जनता को गुमराह करने की राजनीति छोड़कर राजस्व घाटा अनुदान जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपना स्पष्ट रुख सामने रखें। मंत्रियों ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत आरडीजी राज्यों का अधिकार है और इसके बंद होने से हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 10 हजार करोड़ रुपये का भारी नुकसान होगा। ऐसे में भाजपा को प्रदेश के हित में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जिन बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) का हवाला दे रहे हैं, वे अनुदान नहीं बल्कि ऋण हैं। ऋण और अनुदान के बीच का अंतर जय राम ठाकुर भली-भांति जानते हैं। आरडीजी एक ग्रांट है और यह हिमाचल प्रदेश के लोगों का संवैधानिक अधिकार है। विधानसभा सत्र के दौरान इस मुद्दे पर भाजपा का रुख प्रदेश की करीब 75 लाख जनता के सामने स्पष्ट हो चुका है। अब लोग समझ चुके हैं कि भाजपा प्रदेश हित के मुद्दों पर भी राजनीति कर रही है और विपक्ष को हिमाचल के अधिकारों से कोई वास्तविक सरोकार नहीं है।

मंत्रियों ने कहा कि जन दबाव के कारण ही जय राम ठाकुर को केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात का नाटक करना पड़ा, लेकिन वे हिमाचल के हितों को प्रभावी ढंग से उनके सामने रखने में विफल रहे। बेहतर होता कि वे आरडीजी की बहाली के लिए ठोस पैरवी करते और कोई स्पष्ट आश्वासन लेकर लौटते। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष हिमाचल के अधिकारों की मजबूती से वकालत करने का साहस भी वे नहीं दिखा सके।

चौधरी चंद्र कुमार और रोहित ठाकुर ने कहा कि भाजपा का कोई भी नेता अब तक हिमाचल प्रदेश को आरडीजी बहाल करने के समर्थन में एक शब्द तक नहीं बोला है। जबकि कुछ महीने पहले 15वें और 16वें वित्त आयोग के समक्ष स्वयं जय राम ठाकुर ने प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों और आर्थिक चुनौतियों का हवाला देते हुए आरडीजी की आवश्यकता पर जोर दिया था। अब उनके बदले हुए सुर प्रदेश की जनता की समझ से परे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश के अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी और प्रदेश के हितों की हर मंच पर मजबूती से पैरवी जारी रखेगी।

राज्यपाल ने एचपीएनएलयू में कर सुधार सम्मेलन का शुभारम्भ किया

शिमला/शैल। शिव प्रताप शुक्ल ने हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एचपीएनएलयू), शिमला में 'भारत में कर सुधार

चुनौतियां और संभावनाएं' विषय पर आयोजित दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारम्भ किया। यह सम्मेलन भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से आयोजित किया गया है।

राज्यपाल ने कहा कि आजादी के बाद, विशेषकर आर्थिक उदारीकरण के पश्चात, भारत की कर प्रणाली में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इन सुधारों से कर व्यवस्था पहले से अधिक सरल, पारदर्शी और आधुनिक बनी है। उन्होंने बताया कि प्रशासन के डिजिटलीकरण, फेसलेस असेसमेंट, ऑनलाइन अपील और सरल रिटर्न प्रक्रिया जैसी पहल से करदाताओं का भरोसा बढ़ा है। 'विवाद से विश्वास' जैसी योजनाओं ने भी सरकार और करदाताओं के बीच विश्वास मजबूत किया है।

उन्होंने कहा कि सुधारों के बावजूद अभी भी कई चुनौतियां मौजूद हैं। कर आधार को और बढ़ाने, कर चोरी पर रोक लगाने, डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ी जटिलताओं को समझने और वैश्विक कर प्रतिस्पर्धा के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कर सुधार केवल कानून का विषय नहीं है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था और विकास से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है।

कार्यक्रम में विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. प्रीति सक्सेना, विभिन्न शिक्षाविद, अधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित रहे। राज्यपाल ने इस अवसर पर विश्वविद्यालय की नई लिटिगेशन लैब का उद्घाटन भी किया तथा यूथ रेड क्रॉस द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर की शुरुआत की।

मुख्य सचिव ने एचपीवी टीकाकरण अभियान की तैयारियों की समीक्षा की

शिमला/शैल। मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने राज्यव्यापी मानव पैपिलोमा वायरस (एचपीवी) टीकाकरण अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। यह अभियान 28 फरवरी, 2026 से पूरे प्रदेश में यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) के तहत शुरू किया जाएगा।

उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए, ताकि अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। ग्राम पंचायतों, शहरी निकायों, विद्यालयों और विभिन्न मीडिया माध्यमों के जरिए लोगों को टीके के लाभ, उसकी सुरक्षा और निःशुल्क उपलब्धता के बारे में जागरूक करने पर विशेष बल दिया गया।

इस अभियान के अंतर्गत 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 67,000 किशोरियों को एकल खुराक निःशुल्क दी जाएगी। नियमित टीकाकरण सत्र 29 मार्च, 5 अप्रैल और 12 अप्रैल, 2026 को आयोजित होंगे, जबकि छूट गई किशोरियों के लिए 19 अप्रैल, 10 मई, 24 मई और 21 जून को विशेष सत्र रखे गए हैं। टीकाकरण 378 चिन्हित सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा किया जाएगा। कोल्ड चेन व्यवस्था सुनिश्चित की गई है और पंजीकरण व निगरानी यू-विन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। अभिभावकों की सहमति भी ली जाएगी।

तीन माह के विशेष अभियान के बाद एचपीवी टीकाकरण नियमित रूप से यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा बना रहेगा। यह पहल प्रदेश की बालिकाओं के स्वास्थ्य संरक्षण और सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

पादप स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में शिक्षाउद्योग सहयोग पर जोर

शिमला/शैल। डॉ यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी

विश्वविद्यालय में 'सतत विकास के लिए तालमेल पादप स्वास्थ्य प्रबंधन में अकादमिक जगत और उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा' विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ। विशेषज्ञों ने शोध और उसके खेत-स्तरीय अनुप्रयोग के बीच की दूरी कम करने के लिए शिक्षा जगत और उद्योग के बीच सशक्त साझेदारी की आवश्यकता पर बल दिया।

संगोष्ठी का आयोजन हिमालयन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा विश्वविद्यालय के पादप रोग विज्ञान विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। देशभर के विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और एग्रोकेमिकल उद्योग से 188 से अधिक प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं।

मुख्य अतिथि आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ आर. सारदा जयलक्ष्मी देवी ने वैज्ञानिक खोजों को किसान-हितैषी एवं विस्तार योग्य तकनीकों में बदलने पर जोर दिया। उन्होंने जैव-अवक्रमणीय, कम विषाक्त और लक्षित प्रभाव वाले फफूंदनाशकों तथा नैनो-बायो फफूंदनाशकों की संभावनाओं को रेखांकित किया।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राजेश्वर सिंह चंदेल ने प्राकृतिक खेती को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित एवं सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप बताया। उन्होंने कहा कि अनुसंधान पर्यावरण-अनुकूल और किसानों के लिए किफायती होना चाहिए तथा प्रत्येक शोध का व्यावहारिक महत्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर के अधिष्ठाता डॉ. मनीष शर्मा और निदेशक प्रसार शिक्षा डॉ. इंदर देव ने पादप स्वास्थ्य को कृषि उत्पादकता का प्रमुख आधार बताते हुए समन्वित रोग प्रबंधन रणनीतियों की आवश्यकता पर बल दिया। संगोष्ठी में जलवायु परिवर्तन, भूमि क्षरण और खाद्य सुरक्षा जैसी चुनौतियों के बीच नवाचार एवं तकनीकी हस्तांतरण को सुदृढ़ करने पर विस्तृत चर्चा की जा रही है।

नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस का अभियान

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने प्रदेश में नशा तस्करी के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाते हुए एंटी-चिट्टा जन-आंदोलन के द्वितीय चरण में 1 मार्च 2026 को सभी जिलों में समकालिक तलाशी एवं छापेमारी अभियान संचालित किया। यह अभियान मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किए गए 'चिट्टा-मुक्त हिमाचल' संकल्प के तहत चलाया जा रहा है।

यह अभियान राज्य गुप्तचर विभाग, सशस्त्र बलों और जिला पुलिस की संयुक्त व खुफिया-आधारित कारवाई के माध्यम से चलाया गया। अभियान के दौरान ड्रग डिटेक्शन किट का प्रभावी उपयोग किया गया तथा तलाशी, बरामदगी और गिरफ्तारी की पूरी प्रक्रिया की विधिवत वीडियोग्राफी कराई गई।

कानूनी प्रावधानों के तहत की गई कारवाई में एनडीपीएस एक्ट, बीएनएसएस, आर्म्स एक्ट और अन्य लागू कानूनों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया गया। प्रदेशभर में कुल 145 स्थानों पर तलाशी ली गई। इस दौरान 406 ग्राम चरस, 19.236 ग्राम चिट्टा, 124 ग्राम चूरा-पोस्त और 4,65,100 मिलीलीटर अवैध शराब बरामद की गई। अभियान के दौरान एनडीपीएस अधिनियम के तहत 6 तथा आबकारी अधिनियम के तहत 4 मामले दर्ज किए गए।

पुलिस विभाग ने नागरिकों, विशेषकर युवाओं से अपील की है कि नशे से संबंधित किसी भी गतिविधि की सूचना तुरंत 112 या निकटतम पुलिस थाना में दें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादकःजे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता की

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने लोक भवन में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सम्मान समारोह

की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने हिमाचल प्रदेश में निवास कर रहे इन दोनों राज्यों के लोगों को पारंपरिक हिमाचली टोपी और मफलर भेंट कर सम्मानित किया।

राज्यपाल ने अपने संबोधन में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की समृद्ध संस्कृति, विरासत, लोक परंपराओं और रीति-रिवाजों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत की विविधता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने कहा कि देश का प्रत्येक राज्य अपनी विशिष्ट पहचान और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है, जो राष्ट्र की सामूहिक अस्मिता को और सशक्त बनाती है।

इस अवसर पर लेडी गवर्नर एवं राज्य रेड क्रॉस अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्ष जानकी शुक्ला भी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि ऐसे आयोजन 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की भावना को मजबूत करते हैं और विभिन्न राज्यों के लोगों के बीच भाईचारा, सौहार्द और राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करते हैं।

उन्होंने कहा कि अलग-अलग संस्कृतियों, परंपराओं और जीवन-शैलियों से परिचय आपसी समझ और सहयोग को बढ़ाता है। इससे राज्यों के बीच संबंध सुदृढ़ होते हैं और राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है।

कार्यक्रम के दौरान अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम से संबंधित लोगों ने राज्यपाल के साथ अपने अनुभव साझा किए और आत्मीय आतिथ्य के लिए आभार व्यक्त किया।

जनगणना-2027 के प्रथम चरण के लिए मास्टर ट्रेनरों को दिया गया विशेष प्रशिक्षण

शिमला/शैल। जनगणना-2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के सफल संचालन के लिए चार दिवसीय राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम शिमला स्थित हिमाचल लोक प्रशासन संस्थान में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में प्रदेश सरकार के 20 तथा जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाचल प्रदेश के 6 मास्टर ट्रेनरों ने भाग लिया। प्रशिक्षण सत्रों का संचालन नेशनल ट्रेनर पंकज कुमार सिन्हा और संयुक्त निदेशक आशीष चौहान द्वारा किया गया।

प्रशिक्षण के दौरान जनगणना की प्रक्रिया, उद्देश्य और कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को जनगणना के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों, आंकड़ों की शुद्धता और गोपनीयता के महत्व से अवगत कराया गया। विशेष रूप से डिजिटल मोड में होने वाली जनगणना के लिए विकसित मोबाइल ऐप का प्रशिक्षण दिया गया तथा उसका प्रयोगात्मक अभ्यास भी करवाया गया। अंतिम दिन फील्ड में वास्तविक परिस्थितियों में ऐप के माध्यम से आंकड़ा संग्रहण का अभ्यास कराया गया।

निदेशक दीप शिखा शर्मा ने कहा कि जनगणना राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। सटीक और प्रमाणिक आंकड़े ही प्रभावी विकास योजनाओं के निर्माण में सहायक होते हैं। उन्होंने अधिकारियों से निर्धारित समयसीमा में पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ कार्य पूर्ण करने का आहवान किया।

एसएमसी प्रशिक्षण कार्यक्रम में समग्र विकास पर जोर

शिमला/शैल। शिक्षा खंड शिमला द्वारा टूटू स्थित पीएमश्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) के सदस्यों

के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें खंड के उच्च एवं वरिष्ठ विद्यालयों के लगभग 50 चयनित सदस्यों और पदाधिकारियों ने भाग लिया।

प्रधानाचार्य डॉ. रश्मि राणा ने कहा कि एसएमसी अब केवल औपचारिक बैठकों तक सीमित नहीं है, बल्कि स्कूल के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। विद्यालय को पीएमश्री का दर्जा दिलाने में भी समिति का सहयोग उल्लेखनीय रहा है।

प्रशिक्षण वक्ता दलीप ठाकुर ने एसएमसी के गठन, अधिकारों और जिम्मेदारियों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समिति विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास, मिड-डे मील व्यवस्था और निर्माण कार्यों की निगरानी में सक्रिय भूमिका निभाती है।

कार्यक्रम प्रभारी मीना शर्मा ने बताया कि ऐसे प्रशिक्षणों का उद्देश्य एसएमसी और स्कूल प्रबंधन के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना है, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार हो सके। कार्यक्रम में उप-प्रधानाचार्य नीना राठौर सहित अन्य शिक्षक भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने आईजीएमसी में 3 टेस्ला एमआरआई मशीन का शुभारम्भ किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला में लगभग 23 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित अत्याधुनिक 3 टेस्ला एमआरआई मशीन का शुभारम्भ किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आईजीएमसी में 20 वर्ष पुरानी एमआरआई मशीन को बदलकर यह नई हाई-एंड मशीन स्थापित की गई है। इसी प्रकार की मशीन का उपयोग अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चिकित्सा संस्थानों में आधुनिक तकनीक उपलब्ध करवाकर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बना रही है।

उन्होंने बताया कि टांडा, शिमला, हमीरपुर, नेरचौक और चमियाणा के चिकित्सा संस्थानों में भी एम्स की तर्ज पर आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। 3 टेस्ला एमआरआई मशीन से मरीजों को उन्नत जांच के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे समय और धन की बचत होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए 3 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर रही है। आईजीएमसी में ऑर्थोपैडिक विभाग को विश्वस्तरीय बनाया जाएगा और जल्द ही रोबोटिक ऑर्थोपैडिक व स्पाइन सर्जरी शुरू करने की प्रक्रिया जारी है। इसके साथ ही मेडिसिन, पेडियाट्रिक और श्वसन रोगों के लिए अत्याधुनिक आईसीयू भी स्थापित किए जाएंगे।

उन्होंने चिकित्सा विशेषज्ञों के लिए देश-विदेश के उन्नत संस्थानों में एक्सपोजर टुअर आयोजित करने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री और अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन जसकोट हेलीपोर्ट और हमीरपुर बस अड्डे का किया निरीक्षण

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने हमीरपुर जिला के जसकोट में 18 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे हेलीपोर्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में तेजी लाकर इसे इस वर्ष मई माह तक पूरा किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कनेक्टिविटी और आधारभूत ढांचे को मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि पर्यटन के विकास से प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और युवाओं के लिए रोजगार व स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

उन्होंने बताया हाल ही में संजौली हेलीपोर्ट से चंडीगढ़ और रिकांगपिओ के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू की गई हैं। इसके अलावा संजौली-रामपुर-रिकांगपिओ तथा संजौली-मनाली (सासे हेलीपैड) रूट पर भी जल्द सेवाएं शुरू की जाएंगी, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सुविधा मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने 123 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन हमीरपुर बस अड्डे का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि दोनों परियोजनाओं का काम तेजी से चल रहा है और इन्हें निर्धारित समय में पूरा किया जाएगा।

इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

केंद्र से स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस के तहत वित्तीय पैकेज का आग्रह:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। नई दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से शिष्टाचार भेंट कर वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य को स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस के अंतर्गत विशेष वित्तीय पैकेज प्रदान करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे और पहाड़ी राज्य की तुलना बड़े राज्यों से नहीं की जा सकती। बड़े राज्य आरडीजी बंद होने की स्थिति का सामना कर सकते हैं, लेकिन सीमित संसाधनों और भौगोलिक चुनौतियों वाले हिमाचल के लिए यह निर्णय अधिक गंभीर प्रभाव डालने वाला है। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों का एक ही मापदंड पर आकलन करना न्यायसंगत नहीं है। उनके अनुसार, नागालैंड के बाद हिमाचल प्रदेश को आरडीजी के रूप में लगभग 12.7 प्रतिशत का योगदान प्राप्त होता था, जो देश में दूसरा सबसे अधिक था।

मुख्यमंत्री ने आरडीजी बंद करने के निर्णय को सहकारी संघवाद (कोऑपरेटिव फेडरलिज्म) की भावना के विपरीत बताया। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 275(1) का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें राज्यों को उनके राजस्व और व्यय के अंतर को संतुलित करने के लिए अनुदान देने का प्रावधान है। उनका कहना था कि यह पहली बार है जब वित्त आयोग ने छोटे पहाड़ी राज्यों की विशेष विकास आवश्यकताओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने पिछले दो-तीन वर्षों में वित्तीय अनुशासन को प्राथमिकता देते हुए कई ठोस कदम उठाए हैं। राज्य ने कोई ऑफ-बजट उधारी नहीं ली है और विभिन्न सेस के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 600 करोड़ रुपये अतिरिक्त जुटाए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जीएसटी लागू होने से राज्य के राजस्व पर प्रतिकूल असर पड़ा है। टैक्स दरों में वृद्धि और सब्सिडी के युक्तिकरण जैसे उपाय अपनाने के बावजूद राजस्व घाटे को पूरी तरह पाट पाना संभव नहीं हो पा रहा है।

मुख्यमंत्री ने पहाड़ी राज्यों की आर्थिक परिस्थितियों के समुचित आकलन और आवश्यक सुधारों के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का अनुरोध भी किया।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने राज्य की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। इस बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह और प्रधान सचिव (वित्त) देवेश कुमार भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने 20 लाख रुपये तक के लंबित बिलों के भुगतान के दिए निर्देश

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने वित्त विभाग को निर्देश दिए हैं कि लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), जल शक्ति विभाग सहित विभिन्न विभागों से संबंधित ठेकेदारों के 20 लाख रुपये तक के सभी लंबित बिलों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।

वित्त विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि लगभग 225 करोड़ रुपये की बकाया राशि शीघ्र ही विभिन्न ठेकेदारों को जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय विशेष रूप से छोटे और मध्यम ठेकेदारों को राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है, जो लंबे समय से भुगतान लंबित होने के कारण वित्तीय दबाव का सामना कर रहे थे।

प्रवक्ता के अनुसार, सरकार का उद्देश्य राज्य में चल रहे विकास कार्यों को गति देना और उन्हें निर्बाध रूप से जारी रखना है। समय पर भुगतान से निर्माण कार्यों में तेजी आएगी और अधूरे परियोजनाओं को पूरा करने में सहूलियत मिलेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे।

वन भूमि अतिक्रमण पर जल्द बनेगी नई नीति

शिमला/शैल। राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में वन भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में नीति प्रारूप तैयार करने को लेकर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिया जा रहा है। बैठक में राजस्व, वन और विधि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लेकर विभिन्न कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं पर चर्चा की।

मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अनुरूप संतुलित और व्यावहारिक नीति तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके और जमीनी परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जा सके।

बैठक में अतिरिक्त सचिव (राजस्व) अनिल चौहान की अध्यक्षता में एक सब-कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया। इस सब-कमेटी में वन और विधि विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे। समिति को निर्देश दिए गए हैं कि वह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के दिशा-निर्देशों के अनुरूप एक सप्ताह के भीतर नीति का प्रारूप तैयार कर सरकार को सौंपे।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत, प्रधान मुख्य वन अरण्यपाल (वन बल प्रमुख) संजय सूद अतिरिक्त सचिव राजस्व बलवान चंद, अतिरिक्त सचिव राजस्व सुनील वर्मा, संयुक्त सचिव विधि डॉ.विवेक ज्योति सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

शिक्षा मंत्री ने यूनेस्को 'एचपी फ्यूचर्स' परियोजना की संचालन समिति बैठक की अध्यक्षता की

शिमला/शैल। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने समग्र शिक्षा के अंतर्गत आयोजित यूनेस्को 'एचपी फ्यूचर्स' परियोजना की संचालन समिति की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में परियोजना की प्रगति की समीक्षा की गई और शिक्षा सुधारों के अगले चरण के लिए कार्ययोजना तय की गई।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि यूनेस्को के साथ हुआ समझौता प्रदेश सरकार की गुणवत्तापूर्ण और विश्वस्तरीय शिक्षा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भौगोलिक कठिनाइयों और प्राकृतिक आपदाओं जैसी चुनौतियों के बावजूद सरकार दूरदराज क्षेत्रों तक बेहतर शिक्षा पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में शुरू की गई 'एचपी फ्यूचर्स' परियोजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय करिकुलम फ्रेमवर्क-2023 के अनुरूप है। इस परियोजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार करना और विद्यालयों को समावेशी व जलवायु-संवेदनशील बनाना है।

परियोजना तीन प्रमुख स्तंभों कौशल आधारित शिक्षा, खेलों के माध्यम से नैतिक मूल्य शिक्षा और हरित शिक्षा पर आधारित है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच, नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, टीमवर्क और पर्यावरण के प्रति जागरूकता विकसित करना है।

मंत्री ने बताया कि लगभग 200 शिक्षकों को खेलों के माध्यम से नैतिक शिक्षा देने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ईको-क्लबों को सशक्त किया गया है और विद्यार्थियों की पर्यावरणीय गतिविधियों में भागीदारी बढ़ी है।

उन्होंने कहा कि सुधारों की शुरुआत 12 पीएम श्री विद्यालयों से होगी, जिसे बाद में 99 विद्यालयों तक और फिर पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। उन्होंने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, एससीईआरटी और डाइट के बीच बेहतर समन्वय तथा नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि यूनेस्को की सिफारिशें केवल दस्तावेजों तक सीमित न रहें, बल्कि शिक्षण और सीखने के परिणामों में स्पष्ट सुधार के रूप में दिखाई दें। बैठक में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और यूनेस्को प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

समाज के गरीबों के सहयोग के बिना अमीर लोग धन संचय नहीं कर सकते। .....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

राजनीतिक टकराव में कानून की अनदेखी लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा

पिछले दिनों प्रदेश में पुलिस की कारवाई का जो घटनाक्रम सामने आया, उसने एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हमारे लोकतांत्रिक संस्थान वास्तव में कानून के शासन पर चल रहे हैं या फिर राजनीतिक टकराव का हिस्सा बनते जा रहे हैं? जिस प्रकार हर पक्ष अपने-अपने दावे और तर्कों के साथ सामने आया, उससे आम जनता और देश का जागरूक वर्ग यह सोचने पर मजबूर है।

पुलिस का मूल दायित्व संविधान और कानून के दायरे में रहकर काम करना है। पुलिस की कार्यप्रणाली किसी राजनीतिक विचारधारा के आधार पर नहीं बल्कि विधि सम्मत प्रावधानों के अनुसार संचालित होती है। भारत में पुलिस की कारवाई मुख्य रूप से दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) और अब लागू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के प्रावधानों के तहत होती है। इन कानूनों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अपराध की जांच, गिरफ्तारी और न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि संप्रभुता किसकी है। भारत एक संघीय लोकतंत्र है, लेकिन संप्रभुता किसी राज्य या व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की होती है। कानून भी पूरे देश में समान रूप से लागू होता है। ऐसे में यदि किसी राज्य में बाहरी प्रदेश के संदिग्धों या अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलने लगे या पुलिस कारवाई को राजनीतिक चश्मे से देखा जाने लगे, तो यह न केवल कानून व्यवस्था बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी खतरनाक संकेत है। कानून यह भी स्पष्ट करता है कि अंतरराज्यीय मामलों में पुलिस कैसे कारवाई करती है। गिरफ्तारी, जांच और आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया साक्ष्यों, पुलिस रिकॉर्ड और कानूनी धाराओं के आधार पर तय होती है। कई बार परिस्थितियों के अनुसार पुलिस को त्वरित निर्णय लेने पड़ते हैं, जिनका उद्देश्य केवल अपराध की जांच को आगे बढ़ाना होता है। ऐसे मामलों में कानूनी प्रक्रिया की व्याख्या सकारात्मक दृष्टिकोण से की जानी चाहिए, न कि राजनीतिक विवाद के रूप में।

लेकिन जब पुलिस कारवाई को लेकर राजनीतिक ब्यानबाजी शुरू हो जाती है, तो इससे पुलिस की पेशेवर साख और संस्थागत विश्वसनीयता दोनों प्रभावित होती हैं। यदि सरकारी संस्थानों या राज्य के संसाधनों का उपयोग कानून की प्रक्रिया को प्रभावित करने या किसी पक्ष को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाए, तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन जाती है। पुलिस को यदि राजनीतिक उपकरण की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, तो इससे न केवल कानून व्यवस्था कमजोर होगी बल्कि जनता का भरोसा भी टूटेगा। भारत जैसे लोकतंत्र में पुलिस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुलिस केवल अपराधियों को पकड़ने वाली एजेंसी नहीं बल्कि कानून और व्यवस्था की संरक्षक संस्था है। इसलिए पुलिसिंग का आधार पेशेवर नैतिकता, निष्पक्षता और संवैधानिक मर्यादा होना चाहिए। यह भी सच है कि आज भी पुलिस विभाग में अनेक अधिकारी पूरी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो पूरी व्यवस्था की छवि को प्रभावित कर देती हैं। ऐसे मामलों से एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है क्या हमारी संस्थाएं अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार हैं? किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में यदि कोई बड़ी प्रशासनिक विफलता सामने आती है, तो उसके बाद तथ्यों की जांच, आत्ममंथन और सुधार की प्रक्रिया शुरू होती है। यह एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान होती है। लेकिन यदि इन घटनाओं को केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित कर दिया जाए और संस्थागत सुधार की दिशा में कोई गंभीर प्रयास न हो, तो इससे व्यवस्था में अविश्वास और गहरा हो सकता है। समय की मांग है कि पुलिस तंत्र को राजनीतिक विवादों से दूर रखा जाए और उसकी पेशेवर स्वतंत्रता और जवाबदेही दोनों को मजबूत किया जाए। न्यायपालिका, शिक्षाविद, मीडिया और जागरूक नागरिक समाज को भी इस दिशा में अपनी भूमिका निभानी होगी। लोकतंत्र केवल चुनावों से मजबूत नहीं होता, बल्कि मजबूत संस्थाओं, पारदर्शिता और कानून के समान अनुपालन से मजबूत होता है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि नागरिक भी अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहें। अन्याय को देखकर चुप रहना किसी भी समाज के लिए खतरनाक हो सकता है। एक जागरूक समाज ही लोकतंत्र की असली ताकत होता है, जो संस्थाओं को जवाबदेह बनाता है और कानून के शासन को मजबूत करता है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति उसका संविधान और कानून का शासन है। यदि इन मूल्यों की रक्षा नहीं की गई, तो राजनीतिक टकराव और संस्थागत अविश्वास का यह दौर आगे चलकर और गंभीर रूप ले सकता है। इसलिए यह समय आत्ममंथन और सुधार का है, ताकि लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता और जनता का विश्वास दोनों सुरक्षित रह सकें।

दूध में मिलावट: आर्थिक अपराध नहीं नैतिक पतन की पराकाष्ठा

–डॉ नीलम महेंद्र–
सदस्य हिंदी सलाहकार समिति
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

भारत आज गर्व से दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश होने का दावा करता है। वैश्विक दूध उत्पादन में हमारी हिस्सेदारी लगभग 25% है। आंकड़ों की बाजीगरी में हम नंबर वन हैं, लेकिन क्या कभी हमने उस दूध के गिलास की गहराई में झांक कर देखा है जिसे हम 'अमृत' समझकर अपने बच्चों को पिलाते हैं? हालिया रिपोर्ट्स और समाचार पत्रों के दावे चौंकाने वाले ही नहीं, रूह कंपा देने वाले हैं।

क्योंकि दुर्भाग्य से आज देश भर में जांचे गए दूध के हर तीन में से एक नमूना जांच में फेल हो रहा है। यह महज एक सांख्यिकीय डेटा नहीं है, बल्कि हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र की विफलता का अलार्म है।

एफएसएसएआई की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 से 2018 के बीच दूध में मिलावट का ग्राफ 16.64% था, जो 2022 तक बढ़कर 38% तक पहुंच गया। यानी लगभग हर तीसरा गिलास मिलावटी है।

उत्तर भारतीय राज्यों में यह समस्या अधिक विकराल है। दूध के नमूनों में 'नॉन-कन्फर्मिंग' (अमानक) होने की दर उत्तर भारत में करीब 47% तक पायी गई है।

लेकिन समस्या इतनी भर नहीं है कि दूध में मिलावट के आंकड़े खतरनाक स्तर पर पहुंच गए हैं, चुनौती यह है कि देश की सेहत से जुड़े इस गंभीर मामले को लेकर हमारा तंत्र कितना लापरवाह है।

मध्यप्रदेश के ग्वालियर की एक रिपोर्ट बताती है कि पिछले 5 सालों में डेयरी उत्पादों में मिलावट के 490 केस दर्ज हुए, 3.66 करोड़ का जुर्माना लगाया गया, लेकिन वसूली शून्य के बराबर रही। जब कानून का क्रियान्वन ही नहीं हो पाता, तो मिलावटखोरों के हौसले बुलंद होना लाजिमी है।

क्या हमने कभी सोचा है कि उस एक गिलास मिलावट वाले दूध में वास्तव में क्या है?

हम अक्सर सोचते हैं कि मिलावट का मतलब सिर्फ दूध में पानी मिलाना है। काश ऐसा ही होता! पानी से केवल पोषण कम होता है, लेकिन आज जो मिलाया जा रहा है वह सीधे मौत का सामान है!

मुनाफाखोरों के लालच की इंतहा यह है कि दूध में झाग बनाने और फैट दिखाने के लिए वाशिंग पाउडर और यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि यूरिया हमारे गुर्दो (किडनी) पर सीधा प्रहार करता है।

इसके अलावा दूध को सफेद और गाढ़ा दिखाने के लिए घटिया दर्जे का तेल और कास्टिक सोडा मिलाया जाता है, जो पाचन तंत्र को पूरी तरह ध्वस्त कर सकता है। दूध को लंबे समय तक फटने से बचाने के लिए हानिकारक रसायनों का प्रयोग होता है, जो भविष्य में कैंसर जैसी घातक बीमारियों का कारण बन सकते हैं।

लेकिन लाभ की अंधी दौड़ मासूमों के स्वास्थ्य को कितनी हानि पहुंचा रही है, इस बात की संवेदनशीलता को हम समय रहते समझ जाएं यह आवश्यक है। नहीं तो जो भारत आज इस बात पर इतरा रहा है कि वो विश्व का सबसे युवा देश है उसे बच्चों और युवाओं के सबसे खराब स्वास्थ्य वाला देश बनने में देर नहीं लगेगी।

एक मां जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो इस विश्वास के साथ कि वह उसे स्वस्थ पोषण दे रही है। लेकिन क्या उस मुनाफेखोर को जरा भी आत्मग्लानि होती है जो चंद रुपयों के लिए वो एक मां की ममता से विश्वासघात कर रहा है? यह केवल एक आर्थिक अपराध नहीं है, यह नैतिक पतन की पराकाष्ठा है।

दरअसल भारत में दुग्ध उत्पादन निरंतर बढ़ा है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की शक्ति है। परंतु उत्पादन की गति यदि गुणवत्ता की निगरानी से तेज हो जाए, तो संतुलन बिगड़ता है। मांग बढ़ती है, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, और वहीं से अनैतिक शॉर्टकट का जन्म होता है। यदि निरीक्षण तंत्र अनियमित हो, यदि दंड विलंबित हो, यदि दोषियों को वास्तविक भय न हो-तो मिलावट एक 'कम जोखिम, अधिक लाभ' का व्यापार बन जाती है।

समय-समय पर छापेमारी में मिलावटी घी, खोया और दूध की बड़ी मात्रा जब्त होती है। समाचार प्रकाशित होते हैं। पर क्या हमने यह देखा कि कितने मामलों में त्वरित और कठोर दंड हुआ? कितने लाइसेंस स्थायी रूप से निरस्त हुए? कितनी परीक्षण रिपोर्टें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई गई ताकि नागरिक स्वयं गुणवत्ता जान सकें? पारदर्शिता के बिना विश्वास संभव नहीं।

इस समस्या में समाज भी निष्पक्ष दर्शक नहीं है, हम एक जागरूक नागरिक के नाते अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं चुरा सकते। हम सस्ता विकल्प चुनते हैं, स्रोत नहीं पूछते, लेबल नहीं पढ़ते। हम सुविधा को प्राथमिकता देते हैं और गुणवत्ता को अनुमान पर छोड़ देते हैं। जब उपभोक्ता प्रश्न पूछना बंद कर देता है, तब बाजार उत्तरदायित्व छोड़ देता है।

परिणाम स्वरूप आज मुनाफे की यह अंधी दौड़ हमें वहां ले जा रही है जहां हम ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो जवानी आने से पहले ही बीमारियों के बोझ तले दबी जा रही है।

आज 'श्वेत क्रांति' 'श्वेत संकट' बन चुका है।

स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए सरकारी स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि नियमों का कठोरता से पालन हो। नियमित वैज्ञानिक परीक्षण अनिवार्य हों और उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाए। दोषियों के विरुद्ध त्वरित न्यायिक प्रक्रिया और कठोर आर्थिक दंड सुनिश्चित हों, ताकि मिलावट आर्थिक रूप से अलाभकारी बने।

उपभोक्ता के स्तर पर भी जागरूकता उपलब्ध करने को प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए परीक्षण किट, सूचना और शिकायत तंत्र तक उसकी सहज पहुंच हो जो आज के डिजिटल इंडिया में कोई कठिन लक्ष्य नहीं है।

अगर हम इक्कीसवीं सदी के युवा एवं स्वास्थ्य भारत के स्वप्न को साकार करना चाहते हैं तो हमें अपनी भावी पीढ़ी के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी ही होगी और मिलावट के विरुद्ध कठोर कदम उठाने होंगे। क्योंकि दूध में मिलावट केवल कुछ स्वार्थी और मुनाफाखोर लोगों द्वारा किया गया मात्र खाद्य अथवा आर्थिक अपराध नहीं है। अपितु यह देश के भविष्य के साथ किया गया एक ऐसा खिलवाड़ है जिसके दूरगामी परिणाम पूरे देश को भुगतने होंगे ।

एक नयी शहरी रुपरेखा: शहरी चुनौती कोष भारत के शहरों को किस तरह दे सकता है नया रूप

– श्री श्रीनिवास कटिकिथला –
सचिव
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

भारत के शहरीकरण का सफर निर्णायक मोड़ पर है। आज देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में शहरों का बड़ा योगदान है, ये देश के सबसे गतिशील आर्थिक केंद्रों का केंद्र हैं और लाखों लोगों के जीवन स्तर को लगातार प्रभावित कर रहे हैं। फिर भी, ये शहर बुनियादी ढांचे की कमी, जलवायु परिवर्तन के खतरे, वित्तीय बाधाओं और संस्थागत बिखराव जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

अब चुनौती यह नहीं है कि भारत का शहरीकरण होगा या नहीं, बल्कि यह है कि क्या भारत का शहरीकरण प्रभावी, टिकाऊ और समावेशी तरीके से हो पाएगा।

हाल ही में स्वीकृत शहरी चुनौती कोष (यूसीएफ) इस प्रश्न के उत्तर देने के भारत के नज़रिए में एक अहम बदलाव का प्रतीक है। वित्त वर्ष 2025–26 से वित्त वर्ष 2030–31 तक 1 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता राशि और करीब 4 लाख करोड़ रुपये के कुल निवेश को प्रेरित करने की अपेक्षित योजना के साथ, यह कोष पारंपरिक अनुदान–आधारित वित्तपोषण से हटकर, शहरी ढ़ांचागत विकास के लिए बाजार–आधारित, सुधार–संचालित और परिणाम पर आधारित ढांचे की ओर बदलाव का प्रतीक है।

अनुदान से बाजार अनुशासन की ओर शहरी चुनौती कोष की संरचना उसे पूर्व के कार्यक्रमों से अलग करती है। केंद्रीय सहायता परियोजना लागत के 25 प्रतिशत तक सीमित है और शहरों को कम से कम 50 प्रतिशत राशि नगरपालिका बांड, बैंक ऋण या सार्वजनिक–निजी भागीदारी जैसे बाजार स्रोतों से जुटानी होगी। बाकी राशि राज्यों, शहरी स्थानीय निकायों या अन्य वित्तपोषण माध्यमों से आ सकती है।

यह आवश्यकता कार्यक्रम के मूल में वित्तीय अनुशासन को स्थापित करती है। यह संकेत देती है कि शहरी अवसंरचना अब केवल सार्वजनिक बजट पर निर्भर नहीं रह सकती, इसे राजस्व समर्थित परियोजनाओं के ज़रिए पूंजी बाजारों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच बनानी होगी। ऐसा करके, यह कोष ढ़ांचागत महत्वाकांक्षाओँ के साथ राजकोषीय संयम का तालमेल बिठाने की कोशिश करता है।

शहरी केंद्र की पुनर्कल्पना

यह कोष तीन विशिष्ट क्षेत्रों पर आधारित है, जो भारत के शहरी परिदृश्य की बदलती प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं।

पहला क्षेत्र है विकास केंद्र के रूप में शहरों को देखना। इसके तहत यह माना जाता है कि शहरी क्षेत्र आर्थिक इंजन हैं। यह एकीकृत स्थानिक और पारगमन योजना, आर्थिक गलियारों के साथ अवसंरचना और औद्योगिक, पर्यटन या लॉजिस्टिक्स क्लस्टर जैसे मजबूत आर्थिक आधारों के विकास का समर्थन करता है। इसका मकसद केवल परिसंपत्तियों का निर्माण करना नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धात्मकता और उत्पादकता को भी बढ़ाना है।

दूसरा क्षेत्र, शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास, भारतीय शहरीकरण की एक लंबे समय से चली आ रही चुनौती, ऐतिहासिक केंद्रों और केंद्रीय व्यावसायिक जिलों में भीड़भाड़ और गिरावट–का समाधान करता है। ब्राउनफील्ड पुनर्जनन, पारगमन आधारित विकास और सार्वजनिक भूमि के पुनर्गठन को प्रोत्साहित करके, यह कोष मौजूदा शहरी क्षेत्रों के भीतर मूल्यों को उजागर करने का प्रयास करता है।

यह भूमि मूल्य अधिग्रहण और संरचित पुनर्विकास मॉडल के तर्क को पेश करता है, जिससे शहर सांस्कृतिक और विरासत चरित्र को संरक्षित करते हुए कम उपयोग वाली संपत्तियों को नवीनीकरण के चालक में बदला जा सकता है।

तीसरा क्षेत्र जल और स्वच्छता पर केंद्रित है, जहां सेवा संतृप्ति, अपशिष्ट जल पुनः उपयोग, बाढ़ शमन और विरासत अपशिष्ट स्थलों के उपचार पर जोर दिया जाता है। इस ढांचे में जलवायु में बदलाव समाहित है, यह मानते हुए कि चरम मौसम की घटनाएं और पर्यावरणीय तनाव शहरी भेद्यता को नया रूप दे रहे हैं।

छोटे शहरों को वित्तीय मुख्यधारा में लाना शहरी चुनौती कोष के सबसे नवोन्मेषी तत्वों में से एक 5,000 करोड़ रुपए की ऋण चुकौती गारंटी योजना है। पहली बार, छोटे शहरी स्थानीय निकायों, खास तौर पर एक लाख से कम आबादी वाले, साथ ही पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के शहरों, को संरचित केंद्रीय गारंटी के साथ बाजार वित्त तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा रहा है।

प्रारंभिक उधार को जोखिम मुक्त करके, यह योजना छोटी नगरपालिकाओं के लिए प्रवेश संबंधी बाधाओं को कम करती है और ऋणदाताओं को विश्वास दिलाती है। ऐसा करके, यह शहरी स्थानीय निकायों को अंतर–सरकारी हस्तांतरणों पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय, पूंजी बाजारों का लाभ उठाने में सक्षम विश्वसनीय वित्तीय संस्थाओं के रूप में दोबारा स्थापित करना शुरू करती है।

सुधार ही आधार

यूसीएफ के तहत केंद्रीय सहायता प्राप्त करना शासन, वित्तीय और नियोजन सुधारों पर निर्भर है।

शहरों से अपेक्षा की जाती है कि वे साख में सुधार करें, परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणालियों को मज़बूत करें, सेवा वितरण को डिजिटल बनाएं, परिचालन दक्षता बढ़ाएं और एकीकृत भूमि उपयोग तथा गतिशीलता नियोजन ढांचे अपनाएं।

वित्तपोषण लक्ष्यों और मापने योग्य नतीजों से जुड़ा है और लगातार सुधार बाद के संवितरणों के लिए एक पूर्व शर्त है। यह दृष्टिकोण यह दिशा में प्रयास करता है कि अवसंरचना निर्माण के साथ–साथ संस्थागत सुदृढ़ीकरण भी हो, जिससे कमजोर रखरखाव या कुप्रबंधन के कारण परिसंपत्तियों के क्षय का जोखिम कम हो।

शहरी चुनौती कोष शहरी विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका को भी पुनर्परिभाषित करता है। बाजार वित्तपोषण को अनिवार्य बनाकर और संरचित जोखिम–साझाकरण व्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करके, यह डिजाइन, वित्तपोषण और संचालन में निजी भागीदारी को और अधिक व्यापक बनाता है।

परियोजना तैयारी सहायता, लेनदेन सलाहकार सहायता और डिजिटल निगरानी प्रणालियों का मकसद परियोजना की व्यवहार्यता और निवेशकों के विश्वास को मजबूत करना है। अगर इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो यह भारत के नगरपालिका बांड बाजार को और बड़ा कर सकता है और शहरी अवसंरचना के लिए वित्तपोषण आधार को व्यापक बना सकता है।

सहयोगात्मक कार्यान्वयन मॉडल

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस निधि को एक व्यापक हितधारक व्यवस्था के तहत रखा है। राज्यों, शहरी स्थानीय निकायों, वित्तीय संस्थानों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों और निजी विकासकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे एक प्रतिस्पर्धी, चुनौती–आधारित प्रक्रिया के ज़रिए इसमें शामिल हों, जो तत्परता और नवाचार को पुरस्कृत करती है।

राष्ट्रीय, राज्य और शहर स्तर पर क्षमता निर्माण के प्रावधान इस ढांचे में अंतर्निहित हैं, यह मानते हुए कि वित्तीय मदद तक पहुंच के साथ–साथ तकनीकी और प्रबंधकीय दक्षता भी ज़रुरी है। डिजिटल निगरानी प्लेटफॉर्म से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ने और परिणाम–आधारित शासन को मज़बूत करने की अपेक्षा की जाती है।

भविष्य के लिए तैयार शहरों की राह

आगामी दशकों में भारत की शहरी आबादी में खासी वृद्धि होने वाली है और इसके साथ ही बुनियादी ढांचे की मांग भी बढ़ेगी। शहरी चुनौती कोष इसी दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता और राजकोषीय स्थिरता को एक ही ढांचे में एकीकृत करने का प्रयास करता है।

आखिरकार क्या यह कोष भारत के शहरी विकास की दिशा बदल पाएगा, यह इसके क्रियान्वयन पर ही निर्भर करेगा। लेकिन इसका मकसद साफ है। शहरी चुनौती कोष शहरीकरण को एक वित्तीय बोझ के रूप में नहीं, बल्कि एक निवेश के अवसर के रूप में देखता है, जिसका लाभ उठाया जा सकता है। बाजार अनुशासन, सुधार प्रोत्साहन और मापने योग्य परिणामों को अपने डिजाइन में शामिल करके, यह भारत के शहरी परिवर्तन के अगले चरण को गति प्रदान करना चाहता है, एक ऐसा चरण जिसमें शहर सशक्त, प्रतिस्पर्धी और भविष्य के लिए तैयार विकास केंद्रों में विकसित हों।

नौनिहालों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव

हिमाचल प्रदेश का भविष्य उसके बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा से जुड़ा है और यही सोच प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य में बाल्यावस्था देखभाल और समग्र विकास को केंद्र में रखकर योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। सरकार यह सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रही है कि प्रत्येक बच्चे को संतुलित पोषण, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध हो सके।

प्रदेश के 18,925 आंगनवाड़ी केंद्र छह वर्ष तक के बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास की नियमित निगरानी कर रहे हैं। यहां बच्चों के स्वास्थ्य मानकों का मूल्यांकन किया जाता है ताकि कुपोषण जैसी समस्याओं की समय रहते पहचान कर समाधान किया जा सके। चालू वित्त वर्ष में आंगनवाड़ी सेवा योजना के तहत 113 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं, जबकि विशेष पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत 1516.09 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को आंगनवाड़ी सह–स्कूल घोषित कर प्रारंभिक शिक्षा की मजबूत नींव रखने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुरूप राज्य स्तर पर संयुक्त समिति का गठन कर को–लोकेशन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री बाल पोषण आहार योजना के तहत प्रदेश के 15,181 सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत 5.34 लाख से अधिक विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। बच्चों के पोषण स्तर को बेहतर बनाने के लिए 14,464 विद्यालयों में किचन गार्डन स्थापित किए गए हैं, जहां मौसमी सब्जियां और जड़ी–बूटियां उगाई जाती हैं। इनका उपयोग मिड–डे–मील में किया जा रहा है, जिससे बच्चों को ताजा और पोषणयुक्त भोजन मिलता है और वे प्राकृतिक खेती के महत्व से भी परिचित होते हैं। सीमित स्थान वाले स्कूलों में बड़े कंटेनरों और गमलों में सब्जियां उगाने जैसी नवाचार पहल भी की जा रही है।

प्रदेश में कार्यरत 21,115 मिड–डे–मील कार्यकर्ताओं के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि कर उसे 5000 रुपये प्रतिमाह किया गया है, जिससे उनके योगदान को सम्मान मिला है और बच्चों को बेहतर सेवा सुनिश्चित हो रही है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार संतुलित पोषण बेहतर प्रतिरक्षा प्रणाली, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रयास इन मानकों के अनुरूप बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में सार्थक पहल सिद्ध हो रहे हैं। स्पष्ट है कि सुनियोजित नीतियों, पर्याप्त संसाधनों और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से प्रदेश एक स्वस्थ, शिक्षित और सशक्त पीढ़ी तैयार करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है।

बरसात में उजड़े आंगनों में फिर लौटी उम्मीद की हरियाली

भारी बरसात और प्राकृतिक आपदाएं जब कहर बरपाती हैं, तो केवल घरों की दीवारें ही नहीं ढहतीं, बल्कि लोगों के सपने और जीवनभर की मेहनत भी मलबे में दब जाती है। वर्ष 2025 की बरसात ने हिमाचल प्रदेश के कई परिवारों को गहरा घाव दिया। ऐसे ही प्रभावितों में मंडी जिला के सदर उपमंडल की ग्राम पंचायत बीर के धियूं गांव निवासी धर्मपाल सिंह भी शामिल हैं, जिनका पांच कमरों का मकान 16 अगस्त 2025 की रात हुई मूसलाधार बारिश में क्षतिग्रस्त हो गया।

धर्मपाल बताते हैं कि उस रात बारिश ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि देखते ही देखते उनका घर, पशुशाला और करीब अढ़ाई बीघा जमीन बर्बाद हो गई। परिवार के सामने सिर छिपाने तक की जगह नहीं बची। मजबूरन उन्हें रिश्तेदारों के यहां शरण लेनी पड़ी। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लिए दोबारा घर बनाना लगभग असंभव था।

ऐसे कठिन समय में प्रदेश सरकार की विशेष राहत योजना उनके लिए संजीवनी साबित हुई। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने आपदा प्रभावितों के लिए राहत राशि में ऐतिहासिक वृद्धि की है। पहले पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए 1.50 लाख रुपये की सहायता दी जाती थी, जो पर्याप्त नहीं थी। अब इस राशि को बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है, साथ ही घरेलू सामान के लिए 1 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता भी दी जा रही है।

धर्मपाल सिंह को मकान निर्माण के लिए स्वीकृत 7 लाख रुपये में से 4 लाख रुपये की पहली किस्त प्राप्त हो चुकी है, जिससे उन्होंने अपने नए घर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। पशुशाला के पुनर्निर्माण के लिए भी सहायता राशि जारी की गई है। वे भावुक होकर कहते हैं कि सरकार की मदद के बिना उनका घर दोबारा बन पाना संभव नहीं था। अब उन्हें उम्मीद है कि अगली बरसात से पहले उनका नया आशियाना तैयार हो जाएगा।

प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025–26 के लिए विशेष राहत पैकेज स्वीकृत किया है, जिसके तहत राज्यभर में आपदा प्रभावित घरों के पुनर्निर्माण के लिए 141.61 करोड़ रुपये तथा किराए के मकानों में रह रहे परिवारों के लिए 8.97 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की जा चुकी है। यह कदम हजारों परिवारों के जीवन में नई रोशनी लेकर आया है।

मंडी जिला में भी राहत कार्य तेजी से जारी है। उपायुक्त अपूर्व देवगन के अनुसार वर्ष 2025 की बरसात में प्रभावित परिवारों को गृह निर्माण एवं मरम्मत के लिए लगभग 31 करोड़ 81 लाख रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है। इसमें पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त 717 घरों के लिए 19 करोड़ 30 लाख रुपये से अधिक तथा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त 1406 मकानों के लिए 12 करोड़ 50 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा दिया गया है।

प्राकृतिक आपदा से उजड़े हर घर और सूने पड़े हर आंगन को फिर से बसाने का संकल्प प्रदेश सरकार ने लिया है। राहत राशि में अभूतपूर्व बढ़ोतरी और त्वरित सहायता वितरण ने यह संदेश दिया है कि संकट की घड़ी में सरकार प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। धर्मपाल जैसे हजारों परिवारों के लिए यह सहायता केवल आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि नए जीवन की शुरुआत है–एक ऐसी शुरुआत, जिसमें फिर से सपने बसेंगे और आंगन फिर से गुलजार होंगे।

नए मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट करने से पहले उपलब्ध होंगी सभी आधुनिक मशीनें:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने हमीरपुर जिला के नादौन विधानसभा क्षेत्र में स्थित डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर के चिकित्सकों के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि इस संवाद का उद्देश्य डॉक्टरों के सुझाव लेकर स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाना है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वे इससे पहले इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला और डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में भी डॉक्टरों से चर्चा कर चुके हैं, ताकि उनकी समस्याओं और सुझावों को नीति में शामिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों को केवल रेफरल संस्थान नहीं रहने दिया जाएगा, बल्कि प्रदेश में ही बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में हाई-एंड मेडिकल तकनीक ला रही है। हमीरपुर

मेडिकल कॉलेज के लिए 25 करोड़ रुपये की लागत से ऑटोमेटेड लैब स्वीकृत की गई है, जिससे जांच सेवाएं मजबूत होंगी। भविष्य में यहां सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक और डेंटल कॉलेज भी शुरू करने की योजना है।

उन्होंने बताया कि कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा भी शुरू की जाएगी। नए भवन में शिफ्ट करने से पहले सभी आवश्यक आधुनिक मशीनें वहां स्थापित कर दी जाएंगी। साथ ही डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पद भरे जा रहे हैं तथा जरूरत अनुसार नए पद भी सृजित किए जा रहे हैं।

इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

शिक्षा मंत्री ने गुणवत्ता सुधार और जवाबदेही तय करने के दिए निर्देश

शिमला/शैल। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विद्यालय शिक्षा विभाग (माध्यमिक, प्रारंभिक एवं गुणवत्ता प्रकोष्ठ) के उप-निदेशकों के साथ

आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता में और सुधार लाने तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन और शिक्षण परिणामों में सुधार की सीधी जिम्मेदारी उप-निदेशकों की है।

उन्होंने समग्र शिक्षा के अंतर्गत जारी धनराशि का 31 मार्च 2026 तक समयबद्ध और परिणामोन्मुख उपयोग सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि खर्च की गई राशि का प्रभाव कक्षा स्तर पर दिखाई देना चाहिए। इसके लिए उप-निदेशकों को नियमित रूप से फील्ड विजिट कर विद्यालयों में पठन-पाठन और अधोसंरचना की स्थिति की समीक्षा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में विलय किए गए विद्यालयों के रिक्त भवनों के उपयोग की विस्तृत समीक्षा की गई। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन भवनों को निष्क्रिय न छोड़ा जाए, बल्कि पंचायतों के समन्वय से सामुदायिक उपयोग, आंगनवाड़ी केंद्रों या अन्य शासकीय कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाए। इससे सार्वजनिक संपत्तियों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा।

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान और वाणिज्य संकाय के युक्तिकरण की समीक्षा करते हुए उन्होंने उपलब्ध संसाधनों, प्रयोगशालाओं और शिक्षकों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राज्य के 1,970 विद्यालयों में से 818 में विज्ञान तथा 799 में वाणिज्य संकाय संचालित हैं।

परीक्षा प्रबंधन की समीक्षा करते हुए उन्होंने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत सभी बोर्ड परीक्षा केंद्रों में लाइव मॉनिटरिंग सहित सीसीटीवी निगरानी अनिवार्य करने के निर्देश दिए। विलय किए गए सरकारी विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा और प्रधानाचार्यों को केंद्र समन्वयक के रूप में जिम्मेदारी दी जाएगी। संवेदनशील केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।

उन्होंने निजी विद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों को समय पर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (एसएलसी) जारी न करने के मामलों को गंभीर बताते हुए निर्धारित समय सीमा में समाधान के निर्देश दिए।

राजेश धर्माणी ने की तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक

शिमला/शैल। राजेश धर्माणी ने तकनीकी शिक्षा विभाग तथा हिमाचल

प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए युवाओं को गुणवत्तापूर्ण और उद्योगोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य युवाओं को आधुनिक और भविष्योन्मुखी कौशलों से सशक्त बनाना है, ताकि वे बदलते वैश्विक रोजगार बाजार की मांग के अनुरूप तैयार हो सकें। उन्होंने बताया कि दो करोड़ रुपये के इनोवेशन फंड के माध्यम से युवाओं के नवाचारों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे राज्य में स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी। मंत्री ने कहा कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रदेश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बागवानी, प्राकृतिक खेती और डेयरी तकनीक से जुड़े नए कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। बायोफार्मा क्षेत्र में भी नवाचार की संभावनाओं को देखते हुए इस दिशा में कार्य किया जाएगा।

उन्होंने तकनीकी शिक्षा बोर्ड को बाजार की मांग के अनुरूप पाठयक्रम तैयार करने और मजबूत इंडस्ट्री लिंकेज व अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश दिए। युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही लड़कियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू करने की भी घोषणा की।

राजेश धर्माणी ने कहा कि सरकारी और निजी तकनीकी संस्थानों में हैकाथॉन और स्किल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिससे युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है। आईटी और एआई आधारित पाठयक्रमों को शामिल करने तथा बोर्ड के ग्रीवेंस पोर्टल को प्रभावी बनाने पर भी बल दिया गया।

बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी रखने के निर्देश:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी पात्र व्यक्ति की सामाजिक सुरक्षा पेंशन किसी भी परिस्थिति में बंद

नहीं की जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी योग्य लाभार्थियों को समय पर पेंशन मिलनी चाहिए और जिन पात्र व्यक्तियों को अब तक पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया है, उन्हें शीघ्र योजनाओं के दायरे में लाया जाए।

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि अब तक 7,60,772 लाभार्थियों की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। उन्होंने विभाग को निर्देश दिए कि शेष लाभार्थियों की औपचारिकताएं भी जल्द पूरी की जाएं, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति अपने अधिकार से वंचित न रहे।

बैठक में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में 4,131 बच्चे इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो रहे हैं और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 30.69 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने इन बच्चों के लिए नियमित शैक्षणिक और मनोरंजक भ्रमण आयोजित करने के निर्देश दिए तथा जिन जिलों ने अभी तक भ्रमण आयोजित नहीं किए हैं, उनसे रिपोर्ट तलब की।

इसके अलावा, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत 21,588 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की जा रही है, जिनमें अधिकांश 18 वर्ष तक के बच्चे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भविष्य में भी इन कल्याणकारी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि सुनिश्चित करेगी।

हमीरपुर मेडिकल कॉलेज पर खर्च होंगे 1000 करोड़ रुपये: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और प्रस्तावित अत्याधुनिक कैंसर केयर सेंटर की साइट का दौरा किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना पर लगभग 1000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में स्टेट ऑफ आर्ट कैंसर अस्पताल के साथ नर्सिंग कॉलेज और डेंटल कॉलेज का भी निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को अपने घर के पास ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और बाहर जाने की आवश्यकता कम होगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत कर रही है। एम्स दिल्ली की तर्ज पर पुरानी मशीनों को बदलकर आधुनिक और विश्वस्तरीय उपकरण लगाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर-पूर्वी राज्यों के बाद हिमाचल प्रदेश में कैंसर के मामले अधिक सामने आ रहे हैं। ऐसे में हमीरपुर में कैंसर अस्पताल की स्थापना से मरीजों को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण इलाज मिलेगा।

कैंसर केयर सेंटर में 11 नए विशेषज्ञ विभाग स्थापित किए जाएंगे, जिनमें मेडिकल और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, स्टेम सेल और बोन मैरो ट्रांसप्लांट सहित अन्य सेवाएं शामिल होंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कैंसर की रोकथाम, समय पर जांच और निगरानी के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी उद्देश्य से यहां राज्य कैंसर सेंटर स्थापित किया जा रहा है। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे।

उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद शहरी निकायों के वार्ड सीमांकन का कार्यक्रम जारी

शिमला/शैल। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश ने प्रदेश के विभिन्न नवगठित और पुनर्गठित शहरी निकायों के वार्डों के सीमांकन का कार्यक्रम जारी किया है। यह कारवाई हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में की गई है, जिसमें नगर पंचायत स्वारघाट व झंडुता (जिला बिलासपुर), नगर परिषद नादौन (जिला हमीरपुर), नगर पंचायत संगड़ाह (जिला सिरमौर) तथा नगर पंचायत बंगाणा (जिला ऊना) सहित अन्य निकायों के सृजन/पुनर्गठन पर आपत्तियों के निपटारे के बाद अंतिम अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। आयोग के अनुसार वार्ड सीमांकन का प्रारूप 3 मार्च 2026 को प्रकाशित किया गया है, 10 मार्च तक आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं, 13 मार्च तक उनका निपटान होगा, 24 मार्च तक अपीलों का फैसला किया जाएगा और 25 मार्च तक अंतिम परिसीमन आदेश जारी कर दिया जाएगा, जबकि 30 मार्च 2026 तक सीटों का आरक्षण पूरा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त नगर परिषद ज्वालामुखी, नगर पंचायत नगरोटा सुरियां (कांगड़ा), नगर निगम बद्दी, नगर पंचायत कुनिहार (सोलन) तथा नगर पंचायत बड़सर (हमीरपुर) के पूर्व में किए गए सीमांकन को बिना किसी सीमा परिवर्तन के पुनः अधिसूचित कर दिया गया है, जिससे संबंधित शहरी निकायों में चुनावी प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

सिकुड़ते ग्लेशियर और अचानक बादल फटना चिंताजनक: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने 'साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ टैकलिंग नॉन कार्बन-डाईऑक्साइड एमीशंस: पाथवेज फॉर हिमाचल प्रदेश' शीर्षक से रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि राज्य में बढ़ती बादल फटने की घटनाएं, अचानक बाढ़, भूस्खलन और ग्लेशियरों का तेजी से सिकुड़ना जलवायु परिवर्तन के गंभीर संकेत हैं। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं को प्राकृतिक चेतावनी के रूप में लेते हुए तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है। वर्ष 2023 की आपदा का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि इस प्राकृतिक आपदा में 23,000 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए थे।

इस अवसर पर राज्य में औषधीय पौधों की खेती और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए डाबर इंडिया लिमिटेड और मैसर्स करण सिंह वैद्य, सोलन के साथ दो मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (एमओए) हस्ताक्षरित किए गए। पहले समझौते के तहत डाबर इंडिया लिमिटेड अगले दस वर्षों में 1.20 करोड़ गुणवत्तापूर्ण पौधे किसानों को उनकी पारिस्थितिकीय अनुकूलता के अनुसार उपलब्ध करवाएगी। विभिन्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए अलग-अलग औषधीय प्रजातियां वितरित की जाएंगी।

दूसरे समझौते के तहत सोलन जिला में चयनित औषधीय पौधों की खेती, संरक्षण और मूल्य श्रृंखला विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अंतर्गत हल्दी, अश्वगंधा, शतावरी, तुलसी, चिरायता और हिमालयन जेंटियन जैसी प्रजातियों की खेती की जाएगी। प्रारंभिक चरण में 108 बीघा से अधिक भूमि पर कम से कम 225 महिला किसानों को इस पहल से जोड़ा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस वर्ष 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा युवाओं को सौर परियोजनाएं स्थापित करने के लिए सब्सिडी प्रदान की जा रही है। नालागढ़ में ऑयल इण्डिया लिमिटेड के सहयोग से एक मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और एचआरटीसी के बेड़े में लगभग 300 नई ई-बसें शामिल की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल केवल एक भू-भाग नहीं, बल्कि हिमालय की आत्मा है और इसकी पर्यावरणीय सुरक्षा पूरे देश के हित में है।

आईजीएमसी से राज्य स्तरीय एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारम्भ

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने शिमला स्थित आईजीएमसी से सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए राज्य स्तरीय एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) टीकाकरण अभियान का शुभारम्भ किया। उन्होंने कहा कि अगले 90 दिनों के भीतर 14 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 65 हजार बालिकाओं को यह टीका लगाया जाएगा। उन्होंने अभिभावकों, पंचायत प्रतिनिधियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य कर्मियों से इस अभियान को सफल बनाने के लिए जनजागरूकता बढ़ाने की अपील की।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बढ़ते कैंसर मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस बीमारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक सुधार कर रही है। उन्होंने कहा कि समय पर जांच और उपचार से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का भी प्रभावी इलाज संभव है। इसी दिशा में हमीरपुर में लगभग 300 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा, जिससे मरीजों को प्रदेश में ही सस्ता और सुलभ उपचार मिल सके।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अगले लगभग आठ महीनों में आईजीएमसी सहित प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में विश्व स्तरीय तकनीक से लैस हाई-एंड मशीनें और उपकरण स्थापित करेगी। आगामी तीन वर्षों में सभी जोनल अस्पतालों, आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में भी एम्स की तर्ज पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इस कार्य पर लगभग 3000 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में आईजीएमसी में आधुनिक 3 टेस्ला एमआरआई मशीन शुरू की गई है, जबकि यहां 19 वर्ष पुरानी मशीन कार्यरत थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पांचों मेडिकल कॉलेजों में चरणबद्ध तरीके से रोबोटिक सर्जरी सुविधा शुरू की जा रही है। चमियाणा अस्पताल और टांडा मेडिकल कॉलेज के बाद 10 मार्च से आईजीएमसी में भी यह सुविधा उपलब्ध होगी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने कहा कि एचपीवी टीकाकरण को नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा और बालिकाओं को यह टीका निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह अभियान मेडिकल अधिकारियों की निगरानी में संचालित होगा।

हिमाचल के पत्रकारों ने जारवा जनजाति संरक्षण प्रयासों को जाना

मैंग्रोव वनों और मड वॉल्कानो का भी किया अवलोकन

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के पत्रकारों का एक प्रतिनिधिमंडल इन दिनों अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अध्ययन दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने जारवा जनजाति के संरक्षण एवं कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

पत्रकार दल ने जारवा संरक्षित क्षेत्र का भ्रमण किया तथा बाराटांगवन क्षेत्र में अधिकारियों से संवाद किया। प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) राजी जॉर्ज और सहायक वन संरक्षक राजकुमार कोट्टैयार ने जारवा जनजाति की विशिष्ट जीवन शैली, उनके प्राकृतिक आवास और संरक्षण संबंधी कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जारवा समुदाय बाहरी दुनिया से सीमित संपर्क रखता है और उनका जीवन शिकार, मछली पकड़ने तथा शहद संग्रह पर आधारित है।

भारत सरकार ने जारवा जनजाति के निवास क्षेत्र को संरक्षित घोषित किया है। उनकी सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के लिए उनसे अनधिकृत संपर्क करना या उनकी तस्वीरें लेना कानूनन अपराध है। यह कदम उनकी परंपराओं और अस्तित्व की रक्षा के उद्देश्य से उठाया गया है।

मीडिया दल ने बाराटांग द्वीप की प्रसिद्ध लाइमस्टोन गुफाओं का भी अवलोकन किया। प्राकृतिक रूप से बनी ये गुफाएं अपनी अनूठी भू-आकृतिक संरचना के लिए जानी जाती हैं और पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र हैं।

इसके अतिरिक्त पत्रकारों को अंडमान के विस्तृत मैंग्रोव वन क्षेत्र को देखने का अवसर मिला। ये मैंग्रोव वन तटीय क्षेत्रों को सुनामी और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा जैव विविधता के संरक्षण में भी अहम योगदान देते हैं।

प्रतिनिधिमंडल ने बाराटांग द्वीप स्थित मड वॉल्कानो (मिट्टी के ज्वालामुखी) का भी अवलोकन किया। ये ज्वालामुखी समय-समय पर गैस, पानी और मिट्टी का उत्सर्जन करते हैं और अपनी अनूठी प्रकृति के कारण वैज्ञानिक एवं पर्यटक दोनों के लिए आकर्षण का विषय हैं।

यात्रा के अगले चरण में पत्रकार दल सवराज द्वीप (पूर्व नाम हैवलॉक द्वीप) का भ्रमण करेगा, जहां वे द्वीप समूह की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन संभावनाओं का अवलोकन करेंगे।

केंद्रीय मंत्री ने चंबा के दुर्गम क्षेत्रों को दी विकास परियोजनाओं की सौगात

शिमला/शैल। केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने चंबा दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत चुराह और डलहौजी विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया।

अपने पहले कार्यक्रम में उन्होंने चुराह विधानसभा क्षेत्र के भंजराडू में 7 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इंडोर स्टेडियम तथा 9 करोड़ रुपये की लागत से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) भवन का शिलान्यास किया। इसके बाद डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के सलूनी में 9.2 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इंडोर स्टेडियम की आधारशिला रखी। दोनों स्थानों पर आयोजित जनसभाओं को भी उन्होंने संबोधित किया।

जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं को समझने के लिए वहां प्रत्यक्ष रूप से पहुंचना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से दुर्गम इलाकों को जोड़ा जा रहा है और केंद्र सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य सहित आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने पांगी क्षेत्र की चहनी सुरंग का उल्लेख करते हुए कहा कि जनजातीय और दूरस्थ क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है।

सलूनी में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पूर्व में नेता केवल औपचारिक दौरों तक सीमित रहते थे, जबकि वर्तमान सरकार अपने मंत्रियों के माध्यम से दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच बना रही है। उन्होंने डिजिटल इंडिया, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक पेयजल पहुंचाने की योजनाओं का भी उल्लेख किया।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाएं किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं, बल्कि सभी के समग्र विकास के लिए बनाई जाती हैं। उन्होंने अधिकारियों से जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने का आग्रह किया तथा आश्वासन दिया कि सलूनी में प्रस्तावित इंडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य दो वर्ष के भीतर पूरा किया जाएगा।

कार्यक्रम में सांसद राजीव भारद्वाज ने केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश को दिए जा रहे सहयोग के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया और चंबा जिले के विकास के लिए केंद्रीय मंत्री का धन्यवाद किया।

राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान मातृशक्ति की सुरक्षा हेतु ऐतिहासिक कदम:जयराम ठाकुर

शिमला/शैल। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमावायरस) टीकाकरण अभियान की सराहना करते हुए इसे महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी पहल बताया है।

शिमला से जारी बयान में उन्होंने कहा कि सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से देश की करोड़ों बेटियों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया यह अभियान 'मातृशक्ति' के स्वास्थ्य और गरिमा के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भारत में महिलाओं में होने वाले कैंसरों में सर्वाइकल कैंसर एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिससे हर वर्ष हजारों परिवार प्रभावित होते हैं।

उन्होंने आंकड़ों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में प्रतिवर्ष लगभग 80 हजार नए मामले सामने आते हैं और करीब 42 हजार महिलाओं की मृत्यु इस बीमारी के कारण हो जाती है। ऐसे में 14 वर्ष तक की बालिकाओं को निःशुल्क टीका उपलब्ध कराने का निर्णय आने वाली पीढ़ी को रोगमुक्त भविष्य देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रतिवर्ष लगभग 1.15 करोड़ बालिकाओं को टीकाकरण के दायरे में लाने का लक्ष्य विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य अभियानों में से एक है, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रभावी प्रबंधन और 'स्वस्थ भारत' के संकल्प को प्रतिबिंबित करता है।

उन्होंने प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि केंद्र से प्राप्त संसाधनों और मार्गदर्शन का अधिकतम उपयोग करते हुए इस योजना को 'मिशन मोड' में लागू किया जाए। साथ ही ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रें में व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाकर यह सुनिश्चित किया जाए कि हिमाचल की हर पात्र बेटी तक इस टीके की पहुंच हो सके।

जयराम ठाकुर ने विश्वास व्यक्त किया कि विज्ञान और सेवा के इस संगम से भारत आने वाले वर्षों में सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन की दिशा में वैश्विक उदाहरण प्रस्तुत करेगा और देश की मातृशक्ति को और अधिक सशक्त बनाएगा।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

रणधीर शर्मा ने एआई समिट प्रकरण में मुख्यमंत्री की भूमिका पर उठाये सवाल

शिमला/शैल। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं विधायक रणधीर शर्मा ने एआई इम्पैक्ट समिट 2026 प्रकरण को लेकर प्रदेश

सरकार और मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाये हैं। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि 20 फरवरी 2026 को दिल्ली में आयोजित ''एआई इम्पैक्ट समिट'' के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया अर्धनग्न प्रदर्शन राष्ट्र की छवि को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य था। उन्होंने कहा कि यह आयोजन किसी राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि भारत सरकार की मेजबानी में हुआ अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम था, जिसमें 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, ऐसे में इस प्रकार की घटना से देश की प्रतिष्ठा प्रभावित हुई।

रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि इस पूरे घटनाक्रम के सूत्रधार स्वयं मुख्यमंत्री हैं। उनके अनुसार मुख्यमंत्री ने आरडीजी के मुद्दे को राजनीतिक उद्देश्य से आगे बढ़ाया और विधानसभा की परंपराओं की अनदेखी की। उन्होंने कहा कि 16 मार्च 2026 से प्रारंभ हुए बजट सत्र में परंपरा के अनुसार राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाना चाहिए था, किंतु सरकार ने आरडीजी के मुद्दे पर सरकारी संकल्प लाकर तीन दिन तक चर्चा करवाई और 18 फरवरी को प्रस्ताव पारित होते ही सदन स्थगित कर दिया गया। उन्होंने प्रश्न उठाया कि क्या मुख्यमंत्री या उनके मंत्रियों ने आरडीजी बहाली की मांग को लेकर प्रधानमंत्री या केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात की। उनका आरोप था कि दिल्ली प्रवास के दौरान इस विषय पर कोई ठोस पहल नहीं की गई।

भाजपा नेता ने कहा कि प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों को हिमाचल सदन में ठहराया गया, जिसकी पुष्टि स्वयं मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से की है। उन्होंने दावा किया कि कमरों की बुकिंग मुख्यमंत्री कार्यालय से हुई, जिससे इस मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय की भूमिका की निष्पक्ष जांच आवश्यक हो जाती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने और आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद उन्हें हिमाचल लाया गया तथा एक दूरस्थ क्षेत्र में ठहराया गया। शर्मा के अनुसार जब दिल्ली पुलिस न्यायालय से अनुमति लेकर आरोपियों को वापस ले जा रही थी, तब हिमाचल पुलिस द्वारा उन्हें रोका गया और संबंधित पुलिस अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई, जो राजनीतिक दबाव में की गई कारवाई प्रतीत होती है।

रणधीर शर्मा ने पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि किसी केंद्रीय एजेंसी से जांच कराई जानी चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इस घटनाक्रम के पीछे कौन जिम्मेदार था और मुख्यमंत्री कार्यालय की वास्तविक भूमिका क्या रही। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस हाईकमान द्वारा तीन वर्ष के कार्यकाल की समीक्षा के बीच मुख्यमंत्री ने अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया। अंत में उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश शांतिप्रिय और देशभक्त राज्य है तथा किसी भी प्रकार की राष्ट्रविरोधी गतिविधि को प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं करेगी।

किन्नौर की संस्कृति, बोली और साहित्य संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी: अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। अनुराग ठाकुर ने किन्नौर की संस्कृति, बोली और साहित्य को संरक्षित एवं प्रोत्साहित करने के लिए सामूहिक प्रयासों पर बल दिया है। वे दिल्ली में दिल्ली किन्नौर स्टूडेंट्स एसोसिएशसन (DKSA) के वार्षिक कार्यक्रम ''तोशिम'' में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।

अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि किन्नौर की संस्कृति, इतिहास और पारंपरिक वेशभूषा को वैश्विक स्तर पर सराहा जाता है। उन्होंने किन्नौर को 'देवभूमि हिमाचल का मणिमुकुट' बताते हुए कहा कि हिमाचली होने के साथ किन्नौरी पहचान भी गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि ''तोशिम'' जैसे कार्यक्रम आपसी समन्वय को बढ़ावा देते हैं और चार दशकों से अधिक समय से सांस्कृतिक संवाद का मंच बने हुए हैं।

सांसद ने कहा कि किन्नौर केवल सेब उत्पादन के लिए ही नहीं, बल्कि प्राचीन और समृद्ध सभ्यता के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने DKSA की सराहना करते हुए कहा कि संस्था भाषा और संस्कृति के संरक्षण के साथ-साथ किन्नौर के युवाओं के सशक्तिकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने समाज से युवाओं के इन प्रयासों को समर्थन देने का आहवान किया।

विकास के मुद्दे पर उन्होंने केंद्र सरकार के Vibrant Villages Programme (VVP) का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के 75 गांव शामिल किये गये हैं, जिनमें 55 गांव किन्नौर के हैं। योजना के तहत नाको और लियो जैसे गांवों में पर्यटन अवसंरचना विकसित की जा रही है, जबकि भारत-तिब्बत सीमा पर स्थित चितकुल गांव को इस रणनीति का प्रमुख केंद्र बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती गांवों को 'अंतिम' नहीं बल्कि 'पहले' गांव के रूप में देखने की सोच विकसित की गई है, ताकि विकास की प्राथमिकता इन क्षेत्रों को मिले।

उन्होंने 2021 में किन्नौर में आई प्राकृतिक आपदा का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय केंद्र सरकार ने त्वरित सहायता प्रदान की थी।

भाषाई संरक्षण के संदर्भ में अनुराग ठाकुर ने कहा कि किन्नौरी भाषा का मौखिक और लोक साहित्य अत्यंत समृद्ध है, जिस पर गंभीर शोध और संरक्षण की आवश्यकता है। उनके अनुसार किन्नौरी भाषा की आठ बोलियां प्रचलित हैं और यह विश्व की प्राचीन मौखिक परंपराओं में से एक मानी जाती है। हालांकि, उन्होंने चिंता जताई कि यह भाषा यूनेस्को की लुप्तप्राय भाषाओं की श्रेणी में शामिल है और इसे बोलने वालों की संख्या लगभग 70 से 84 हजार के बीच है।

उन्होंने कहा कि किन्नौरी भाषा और संस्कृति का लुप्त होना केवल किन्नौर या हिमाचल का ही नहीं, बल्कि पूरे देश की सांस्कृतिक विरासत का नुकसान होगा। उन्होंने इस दिशा में हर संभव सहयोग देने का आश्वासन भी दिया।

हिमाचल के विकास को गति देगा बजट:कश्यप

शिमला/शैल। सुरेश कश्यप ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2026-27 हिमाचल प्रदेश के लिए विकास को नई गति देने वाला साबित होगा। वे नाहन में आयोजित विकसित भारत युवा संसद 2026 कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। यह कार्यक्रम युवा शक्ति, भारत की शक्ति अभियान के तहत आयोजित किया गया।

सांसद कश्यप ने कहा कि बजट में हिमाचल प्रदेश को केंद्र करों में 0.914 प्रतिशत हिस्सेदारी के अंतर्गत लगभग 20,365 करोड़ प्राप्त होंगे। यह राशि राज्य में आधारभूत संरचना, सामाजिक कल्याण योजनाओं और अन्य विकास कार्यों को गति देने में सहायक होगी।

उन्होंने बताया कि पर्वतीय राज्यों के लिए इको-फ्रेंडली माउंटेन कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा राज्य के लिए विशेष महत्व रखती है। प्रस्ताव के तहत हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड और जम्मू-कश्मीर में पर्यावरण- संवेदनशील पर्वतीय मार्ग विकसित किए जाएंगे। कश्यप के अनुसार इससे पर्यटन, कनेक्टिविटी और स्थानीय रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।

उन्होंने कहा कि बजट में पर्यटन और जैव विविधता संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया है, जिससे पर्यटन-प्रधान राज्यों को लाभ मिलने की संभावना है। होटल, होमस्टे, इको-टूरिज्म, हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों से जुड़े क्षेत्रों में गतिविधियां बढ़ सकती हैं।

मेडिकल टूरिज्म के संदर्भ में उन्होंने कहा कि देश में पांच क्षेत्रीय मेडिकल टूरिज्म हब स्थापित करने की घोषणा की गई है। उनके अनुसार प्राकृतिक वातावरण, आयुष और वेलनेस सुविधाओं के कारण हिमाचल इस क्षेत्र में संभावनाओं वाला राज्य है।

आयुष क्षेत्र को लेकर की गई घोषणाओं का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की स्थापना और आयुष फार्मेसी व औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं के उन्नयन से राज्य को लाभ मिल सकता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल औषधीय पौधों और आयुर्वेदिक परंपरा के लिए जाना जाता है, जिससे स्थानीय किसानों और उद्यमियों को अवसर मिल सकते हैं।